



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1702]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2011/भाद्र 11, 1933

No. 1702]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2011/BHADRA 11, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011

(आयकर)

का.आ. 2040(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के बीच करार (जिसे इसके पश्चात् "करार" कहा जाएगा) पर 12 जुलाई, 2011 को भारत में हस्ताक्षर किए गए थे।

जबकि, करार के अनुच्छेद 29 के अनुसार ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, दोनों द्वारा करार को लागू करने के लिए अपने संबंधित राज्य क्षेत्रों में कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा होने के बारे में एक-दूसरे को सूचित करना अपेक्षित है।

जबकि, उक्त करार 12 अगस्त, 2011 को लागू होगा, जो कि करार के अनुच्छेद 29 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार करार को लागू करने के लिए अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के कानूनों द्वारा यथाअपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, परवर्ती अधिसूचनाओं की तारीख है।

जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90क की उप-धारा (1), केन्द्र सरकार को ऐसे उपबंध बनाने के लिए सशक्त बनाती है जो भारत में किसी विनिर्दिष्ट संघ और भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के बीच किए गए करार को अपनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अतः, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के बीच करार को स्वीकार करती है और अधिसूचित करती है कि उक्त करार के सभी उपबंध, जो इसके साथ संलग्न हैं, को भारत संघ में 1 अप्रैल, 2012 से लागू किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 48/2011/फा. सं. 500/02/2001-वि.क.प्र.-II]

के. रामालिगम, संयुक्त सचिव

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के बीच करार

नई दिल्ली में ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ एवं ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो राज्य क्षेत्रों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार प्रत्येक राज्य क्षेत्र अथवा इसके उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :
 - (क) राज्य क्षेत्र में, जिस में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू कराधान कानून लागू होता है : आय कर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
 - (ख) राज्य क्षेत्र जिस में, ताइपेई के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू कराधान कानून लागू होता है :-
 - (i) लाभ प्राप्त करने की कोशिश करने वाले उद्यम संबंधी आयकर ;
 - (ii) व्यक्तिगत समेकित आयकर ; और
 - (iii) आय आधार कर ;

जिस में उस पर उद्ग्रहीत अनुपूरक सम्मिलित हैं।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) पद "राज्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) अथवा 3(ख) में उल्लिखित, जैसा भी मामला हो, राज्य क्षेत्र पद "दूसरा राज्य क्षेत्र" और "दोनों राज्य क्षेत्रों" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
 - (ख) पद "व्यक्ति" में शामिल है, कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता जिसे संबंधित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;
 - (ग) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;
 - (घ) पद "उद्यम" किसी कारोबार को संचालित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
 - (ङ.) "एक राज्य क्षेत्र का उद्यम" तथा "दूसरे राज्य क्षेत्र का उद्यम" पद से क्रमशः एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
 - (च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, जो एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है ;
 - (छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

- (i) उस राज्य क्षेत्र के मामले में, जिस में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कराधान कानून लागू किया जाता है, भारत के वित्त मंत्री, अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ii) उस राज्य क्षेत्र के मामले में, जिस में ताइपेई के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कराधान कानून लागू किया गया है, वित्त मंत्री अथवा उन प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ज) पद “कर” से तात्पर्य अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3 (ख) में उल्लिखित कर, जैसा भी मामला हो, से है, किंतु इस में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में, जिन पर यह करार लागू होता है, किसी चूक अथवा त्रुटि के संबंध में देय है, अथवा जो ऐसे करों से संबंध में लगाए गए किसी अर्थदंड अथवा जुर्माने को निरूपित करती है ;
- (झ) पद “वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है :
- (i) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में : अप्रैल की पहली तारीख को आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ;
- (ii) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में : जनवरी की पहली तारीख को आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ;

2. जहां तक किसी राज्य क्षेत्र द्वारा इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य क्षेत्र जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य क्षेत्र के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य क्षेत्र के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक राज्य क्षेत्र का निवासी” पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास,

समावेश के स्थान, प्रबंध संस्थान अथवा ऐसे ही स्वरूप के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य क्षेत्र और इसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है।

2. कोई व्यक्ति, जो इस करार के प्रयोजनार्थ उस राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है यदि वह व्यक्ति केवल उस राज्य क्षेत्र में स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में उसी राज्य क्षेत्र में कर के लिए उत्तरदायी है बशर्ते कि यह पैराग्राफ उन वैयक्तिकों पर लागू नहीं होगा जो कि अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के निवासी हैं, जब तक कि वैयक्तिक निवासी व्यक्तियों पर केवल उस राज्य क्षेत्र में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में कर लगाया जाता है।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही राज्य क्षेत्रों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- क) उसे केवल उसी राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो ; यदि उसे दोनों ही राज्य क्षेत्रों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य क्षेत्र का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- ख) यदि उस राज्य क्षेत्र का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्य क्षेत्रों में से किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ;

4. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों राज्य क्षेत्रों का निवासी हो, वहां वह केवल उस राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है। यदि उसे राज्य क्षेत्र, जिसमें उस का प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो दोनों राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई बिक्री बाजार ;
- (छ) किसी वैयक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ;
- (ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और
- (झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. (क) कोई निर्माण स्थल अथवा निर्माण, संयोजन अथवा प्रस्थापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप एक “स्थायी संस्थापन”

निर्मित करते हैं किन्तु केवल तभी यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 270 दिन से अधिक समय तक चलें;

- (ख) ऐसे उद्देश्य के लिए किसी उद्यम द्वारा सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें उद्यम द्वारा लगाए गए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा परामर्शी सेवाएं भी शामिल हैं, किन्तु केवल वहीं जहाँ ऐसे स्वरूप के कार्यकलाप (उसी अथवा संबद्ध परियोजना के लिए) राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अवधि अथवा अवधियों के लिए, जो कुल मिलाकर किसी भी 12 माह की अवधि के अन्तर्गत 182 से अधिक दिन तक चले ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग करना ;
- (ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के भंडार का रख-रखाव करना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा मात्र संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं के क्रय के प्रयोजनार्थ अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हों।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी राज्य क्षेत्र में दूसरे राज्य क्षेत्र के उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा जिन्हें उक्त व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, यदि ऐसा व्यक्ति :-

(क) उस राज्य क्षेत्र में उस उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो और आदतन उस का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हो, जिन्हें यदि वह कारोबार के निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो वह उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के निश्चित स्थान को स्थायी संस्थापन नहीं बना देगा ; अथवा

(ख) आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए आर्डर प्राप्त करता है ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी राज्य क्षेत्र के किसी बीमा उद्यम, पुनर्बीमा के अतिरिक्त, का दूसरे राज्य क्षेत्र में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि वह उस अन्य राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम का संग्रहण करता है अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है, से अन्य किसी और व्यक्ति के माध्यम से उस में स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का उस दूसरे राज्य क्षेत्र में मात्र इस कारण किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि, कोई कंपनी, जो किसी राज्य क्षेत्र की निवासी है किसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो कि दूसरे राज्य क्षेत्र की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के जरिए अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों कंपनियों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।
2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिस में विचाराधीन संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि एवं वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भंडार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जिन में तेल, गैस और खदान शामिल हैं, के दोहन के लिए अथवा दोहन के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।
3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य क्षेत्र में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक राज्य क्षेत्र का कोई उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक राज्य क्षेत्र में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, जिनके होने की संभावना तब होगी यदि वे समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार उपगत किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही उस राज्य क्षेत्र के उपबंधों के अनुसार और कर कानूनों की परिसीमाओं के अधीन वे उस राज्य क्षेत्र में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि ऐसी किसी कटौती की उन धनराशियों के संबंध में, यदि कोई हों अनुमति नहीं दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्यालय अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रॉयल्टियों, फीसों अथवा समान अदायगियों के माध्यम से अथवा निष्पादित की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के माध्यम से अथवा बैंकिंग उद्यमों के मामलों के अतिरिक्त, स्थायी संस्थापनों को उधार दिए गए ब्याज के माध्यम से अदा किए गए (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) हों। उसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के मुख्यालय अथवा उस के अन्य किसी कार्यालय को, पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए बदले में रॉयल्टियों, फीसों अथवा अन्य समान अदायगियों के माध्यम से अथवा निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य प्रभारों के माध्यम से अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले के अतिरिक्त, उद्यम के मुख्यालय या उस के किसी अन्य कार्यालयों को उधार दिए गए धन पर ब्याज के माध्यम से, वसूली गई राशियों के लिए (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) कोई लेखा-जोखा नहीं किया जाएगा।

4. जहां एक राज्य क्षेत्र में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस राज्य क्षेत्र में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी। तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ तब तक वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किये जाते रहेंगे, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी एवं वायु परिवहन

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।
2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से किसी परिवहन उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों में निम्नलिखित शामिल है :-
 - (क) जलयानों अथवा वायुयानों के पूर्ण (समय अथवा समुद्र यात्रा) आधार पर किराए पर देने से व्युत्पन्न ब्याज ; और
 - (ख) माल अथवा पण्य के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों (इस में आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलर एवं अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए पर देने से प्राप्त लाभ, जब तक कि आधानों का केवल अन्य राज्य क्षेत्र के भीतर प्रयोग किया जाता हो ;

जहाँ ऐसे किराए पर दिया जाना अथवा ऐसे प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए पर दिया जाना, जैसा भी मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से आनुषंगिक है।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, ऐसे निवेश, जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा

वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसे कारोबार के प्रचालन का अभिन्न अंग हो, और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त उद्यम या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

- (क) एक राज्य क्षेत्र का कोई उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक राज्य क्षेत्र उस राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य

उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक राज्य क्षेत्र की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस राज्य क्षेत्र में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस की लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है किंतु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे राज्य क्षेत्र का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 12.5 (साढ़े बारह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिन में से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य लाभ में भागीदारिता के ऋण दावे न होने के कारण तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से हैं जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो किसी राज्य क्षेत्र का निवासी होने के कारण दूसरे राज्य क्षेत्र में, वहां स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी हैं अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्ति से सेवाएं प्रदान करता है और जिन धारिताओं के सम्बन्ध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहाँ ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक राज्य क्षेत्र की निवासी है, दूसरे राज्य क्षेत्र से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य क्षेत्र कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर

कोई कर नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य क्षेत्र के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जब कि सम्पत्ति जिस के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह उस दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के संबंध में हो ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस राज्य क्षेत्र में भी और उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे राज्य क्षेत्र का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक राज्य क्षेत्र में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्न द्वारा प्राप्त एवं हितभागी रूप से स्वामित्व प्राप्त है :-
 - (क) किसी राज्य क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण, अन्य राज्य क्षेत्र का उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा
 - (ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3(ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्रों के सेंट्रल बैंक और आयात निर्यात बैंक ; अथवा
 - (ग) कोई अन्य संस्थान, जिस की अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3(ख) में उल्लिखित दोनों राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर पहचान की गई हो और उसे स्वीकार किया गया हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त, "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हो। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने से दूसरे राज्य क्षेत्र में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी राज्य क्षेत्र का निवासी हो अथवा नहीं, किसी राज्य क्षेत्र में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक राज्य क्षेत्र में उद्भूत होने वाले और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस राज्य क्षेत्र में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी इस राज्य क्षेत्र का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3.(क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियाँ” शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो या टेलीविजन में प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाईन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार हेतु औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद का अभिप्राय, तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था हित कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल के रूप में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इस में इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने के कारण दूसरे राज्य क्षेत्र में, जिसमें रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है

अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. (क) एक राज्य क्षेत्र में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य क्षेत्र का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी राज्य क्षेत्र का निवासी हो अथवा नहीं, उस राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में उद्भूत नहीं होती है और रायल्टियाँ राज्य क्षेत्र में से किसी एक में अधिकार अथवा सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार से संबंधित होती हैं वहाँ रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में निष्पादित सेवाओं से संबंधित होती है। वहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुई मानी जाएंगी।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाम

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलामों पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर जो एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलामों पर जो सम्पत्ति एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को दूसरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाम शामिल हैं, उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

4. एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उन के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाले शेरों के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कम्पनी, जो किसी राज्य क्षेत्र की निवासी है, को पैराग्राफ 4 में उल्लिखित से भिन्न शेरों के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे राज्य क्षेत्र में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे राज्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य क्षेत्र में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारम्भ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों इंजीनियरों, वास्तुविदों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे राज्य क्षेत्र में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ अथवा समाप्त हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य क्षेत्र में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं ; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है ; और
- (ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य क्षेत्र में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी पोत अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर, जो एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो दूसरे राज्य क्षेत्र की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे राज्य क्षेत्र में किए गए इस

प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी राज्य क्षेत्र में किए गए अपने कार्य-कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि कार्य-कलाप एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्रों अथवा उसके उप-प्रभागों अथवा उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हों। ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. क) किसी राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य क्षेत्र में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य क्षेत्र में की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र का एक निवासी हो, जो :

- (i) उस राज्य क्षेत्र का एक राष्ट्रिक है ; अथवा
- (ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगेगा, यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य क्षेत्र का एक निवासी तथा एक राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17, और 18 के उपबंध किसी राज्य क्षेत्र अथवा किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक या शोधकर्ता जो दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में इसी तरह के कोई अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे राज्य क्षेत्र की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक राज्य क्षेत्र का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद केवल शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा शोधकार्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित में किया जा रहा हो और न कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को किसी राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे राज्य क्षेत्र का दौरा करता है अथवा उससे तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष में उस राज्य क्षेत्र का निवासी है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी को जो दूसरे राज्य क्षेत्र का दौरा करने के तुरन्त पहले राज्य क्षेत्रों में से किसी एक का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उपस्थित है, उसे अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त होगी:

क) उस दूसरे राज्य क्षेत्र से बाहर रहे रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां

और

ख) दूसरे राज्य क्षेत्र में, उसके द्वारा किए जा रहे किसी नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर, यदि वह नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उसकी शिक्षा से संबंधित है।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य क्षेत्र में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने के नाते दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के

माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, जो ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी राज्य क्षेत्र का कोई निवासी दूसरे राज्य क्षेत्र के भीतर लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौड़ों, जिसमें घुडदौड़ शामिल है, कार्ड गेम्स एवं किसी भी प्रकार के अन्य गेम्स अथवा किसी भी स्वरूप का जुआ अथवा पणक्रिया के रूप में स्रोतों से आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय दूसरे राज्य क्षेत्र में कराधेय होगी।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में :

क) जहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है तो अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र उस निवासी की आय पर अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि पर कर से छूट प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी छूट कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो छूट दिए जाने से पहले, जैसा भी मामला हो, यथा-संगणित हो, जो उस आय के कारण हो, जिस पर अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकता हो।

ख) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर करार के किसी उपबंध के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में :

क) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र का कोई निवासी दूसरे राज्य क्षेत्र से आय प्राप्त करता है, वहां उस दूसरे राज्य क्षेत्र

में (परन्तु लाभांश के मामले में, उन लाभों के संबंध में अदा किए गए कर को छोड़कर जिसमें से लाभांश अदा किया गया है) और इस करार के उपबंधों के अनुसार उस आय पर प्रदत्त कर की राशि को उस निवासी पर प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में उदग्रहीत कर के प्रति क्रेडिट किया जाएगा। तथापि, क्रेडिट राशि इसके कराधान कानूनों एवं विनयमनों के अनुसार संगणित उस आय पर प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर करार के किसी उपबंध के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) ने उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक राज्य क्षेत्र के राष्ट्रिकों पर दूसरे राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।

2. एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक राज्य क्षेत्र के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे राज्य क्षेत्र के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे राज्य क्षेत्र की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है, न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान,

ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे, मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को किया गया हो ।

4. एक राज्य क्षेत्र के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे राज्य क्षेत्र के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।
5. इस अनुच्छेद के उपबंध, उन करों पर लागू होंगे जो इस करार के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्रों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्य क्षेत्रों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी करार को राज्य क्षेत्रों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा ।
3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं हों, तो राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।
4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब विचारों के मौखिक आदान-प्रदान हेतु करार का इस दिशा में होना उचित प्रतीत होता है तो इस तरह

के आदान-प्रदान को राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों वाले एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा राज्य क्षेत्रों या उनके उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सभी प्रकार के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2. पैराग्राफ - 1 के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य क्षेत्र के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ - 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में इसे प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्यक्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई सूचना को अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यक्षेत्रों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता हो और आपूर्तिकर्ता राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोगों को प्राधिकृत करता हो।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

- ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं) की सफ़ाई करना जो उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- ग) ऐसी सूचना की सफ़ाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी राज्य क्षेत्र द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा राज्य क्षेत्र अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य क्षेत्र को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि राज्य क्षेत्र केवल इसलिए सूचना सफ़ाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी राज्य क्षेत्र को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।

अनुच्छेद - 27

करों की वसूली में सहायता

1. प्रत्येक राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 2 में उल्लिखित किसी कर, जिसे दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा लगाया गया हो वसूल करने का प्रयास करेगा जैसे कि यह उसका अपना कर हो, और जिसकी वसूली यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि उस दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा इस करार के अंतर्गत स्वीकृत कर पर कोई छूट अथवा कटौती उन व्यक्तियों को नहीं मिले जो ऐसे लाभों के लिए पात्र न हों ।

2. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा ;

- क) उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों एवं प्रशासनिक प्रथाओं से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो ;
- ग) सहायता प्रदान करना, यदि दूसरे राज्य क्षेत्र ने अपने कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अथवा प्रशासनिक प्रथा के अनुरूप वसूली अथवा अनुसूचना जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपाय न किए हों ।
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासनिक बोझ स्पष्ट रूप से दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के अनुपात में न हों।

अनुच्छेद - 28

लाभों का परिसीमन

1. इस करार के किसी दूसरे अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, किसी राज्य क्षेत्र का कोई निवासी इस करार के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसे निवासी अथवा ऐसे निवासी के साथ जुड़े किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा एक मुख्य प्रयोजन में से एक इस करार के लाभों को प्राप्त करना था ।
2. विधिमान्य हस्तियों के मामलों में जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों में शामिल होंगे ।

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. ताइपेई में भारत-ताइपेई संगठन और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र इस करार के लागू करने के लिए अपने संबंधित राज्य क्षेत्रों में कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे को लिखित में अधिसूचित करेंगे ।
2. यह करार, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित इन लिखित अधिसूचनाओं के सबसे बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा ।
3. इस करार के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :-

- क) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद जिसमें करार प्रवृत्त होता है, आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में; और

- ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद जिसमें करार प्रवृत्त होता है, आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 30

समापन


यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ अथवा नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र में से किसी एक द्वारा करार के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले दूसरे को इसके समापन की एक लिखित सूचना नहीं दी जाती है । ऐसी स्थिति में करार निम्न प्रभाव से समाप्त हो जाएगा ;

- क) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ;
- ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जिसमें समापन का नोटिस दिया जाता है, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।


नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन, चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा ।

ताइपेई में भारत-ताइपेई
संगठन की ओर से


(प्रदीप कुमार रावत)

महानिदेशक,
भारत-ताइपेई संघ, ताइपेई

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं
सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से



(वेनची औंग)
प्रतिनिधि,

ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र
नई दिल्ली

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन को करार पर हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति हुई जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे ।

1. यह स्पष्ट है कि यदि किसी राज्य क्षेत्र का घरेलू कानून किसी अन्य राज्य क्षेत्र के निवासी को इस करार के उपबंधों से अधिक लाभकारी है, तब प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के घरेलू कानून के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक ये ऐसे निवासी को अधिक लाभकर हैं ।

2. अनुच्छेद 2 के संबंध में, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में यह स्पष्ट है कि करार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भूमि कर अधिनियम के अन्तर्गत भूमि मूल्य वृद्धि कर के अधिरोपण को प्रभावित करेगा ।

3. “स्थायी संस्थापन” पर अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफों (क) और (ख) के संबंध में, यह स्पष्ट है कि यदि भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए करार को संशोधित किया जाता है और भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के मध्य संशोधित करार में इन दो उप पैराग्राफों में से शब्द “अथवा वितरण” हटा दिए जाते हैं, तब इन दोनों उप पैराग्राफों के अनुरूपी संशोधन स्वतः ही इस करार में लागू होंगे और शब्द “अथवा वितरण” इन दोनों उप-पैराग्राफों से उस तारीख से समाप्त माने जाएंगे जिस तारीख से भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के मध्य दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए संशोधित करार प्रवृत्त होता है ।

4. आगे यह समझा जाता है कि “स्थायी संस्थापन” पर अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संबंध में यदि भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार को संशोधित किया जाता है और भारत गणराज्य तथा चीन जनवादी गणराज्य के बीच संशोधित करार में इस आशय के उपबंध अंतर्विष्ट किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो एक स्वतंत्र हैसियत के एजेंट से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है तो वह उद्यम के लिए किए गए कार्यकलापों के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन

बनाएगा, यदि वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता है, और जिससे वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता है, तब अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 का तदनुरूपी संशोधन उस तारीख से इसी तरह के उपबंध को अन्तर्विष्ट करके इस करार में स्वतः ही लागू हो जाएगा जिस तारीख को भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संशोधित करार लागू होता है। इस करार में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंधों के सही सूत्रीकरण को पत्रों के आदान-प्रदान से अंतिम रूप दिया जाएगा।


5. अनुच्छेद 23 के संबंध में, यह समझा जाता है कि दोनों में से किसी भी राज्य क्षेत्र में लागू कानून, संबंधित राज्य क्षेत्र में आय के कराधान को तब तक अधिशासित करते रहेंगे जब तक कि इस करार में इसके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध न बनाया जाए। जब दोनों राज्य क्षेत्रों में आय, कर के अध्यक्षीन हो तो अनुच्छेद 23 के उपबंधों के अंतर्गत दोहरे कराधान से राहत दी जाएगी।

6. अनुच्छेद 23 के संबंध में, आगे यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र अपने निवासी की आय पर, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में लगाए गए भूमि कर अधिनियम के अंतर्गत भूमि मूल्य वृद्धि कर से छूट की अनुमति नहीं देगा।


जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन, चीनी, हिन्दी, और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से ग्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

ताइपेई में भारत-ताइपेई
संगठन की ओर से


(प्रदीप कुमार शिवत)
महानिदेशक,
भारत-ताइपेई संघ, ताइपेई

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं
सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से


(वेनची औंग)
प्रतिनिधि,
ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र
नई दिल्ली

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2011

(INCOME TAX)

S.O. 2040(E).—Whereas the agreement between India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as the “agreement”) was signed in India on the 12th day of July, 2011.

Whereas in terms of article 29 of the agreement, both India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi are required to communicate to each other about the completion of the procedures required by the laws in their respective territories for the entry into force of the agreement.

Whereas the said agreement shall come into force on the 12th day of August, 2011, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective territories for the entry into force of the agreement, in accordance with the provisions specified in article 29 of the agreement.

Whereas sub-section (1) of section 90A of the Income-Tax Act, 1961 empowers the Central Government to make such provisions as may be necessary for adopting and implementing the agreement made between any specified association in India and any specified territory outside India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90A of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby adopts the agreement between India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and notifies that all the provisions of the said agreement annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of April, 2012.

[Notification No. 48/2011/F. No. 500/02/2001-FTD-II]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.

ANNEXURE

AGREEMENT
BETWEEN
INDIA-TAIPEI ASSOCIATION IN TAIPEI
AND
TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN NEW DELHI
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the territories.

Article 2
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each territory or of its subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages on salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) in the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance of India is applied : the income tax, including any surcharge thereon;
 - b) in the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance in Taipei is applied :
 - (i) the profit seeking enterprise income tax;
 - (ii) the individual consolidated income tax; and
 - (iii) the income basic tax,
including the supplements levied thereon.

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the territories shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - a) the term "territory" means the territory referred to in paragraph 3(a) or 3(b) of Article 2, as the case may be. The terms "other territory" and "territories" shall be construed accordingly;
 - b) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective territories;
 - c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - d) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
 - e) the terms "enterprise of a territory" and "enterprise of the other territory" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a territory and an enterprise carried on by a resident of the other territory;
 - f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a territory, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other territory;
 - g) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance of India is applied, the Finance Minister of India or his authorized representative;
 - (ii) in the case of the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance in Taipei is applied, the Finance Minister or his authorized representative;
 - h) the term "tax" means the tax referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2 as the case may be, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;
 - i) the term "fiscal year" means:
 - (i) in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2: the financial year beginning on the first day of April;
 - (ii) in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2: the financial year beginning on the first day of January.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a territory, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that territory for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that territory prevailing over a meaning given to the term under other laws of that territory.

Article 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a territory " means any person who, under the laws of that territory, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that territory and any subdivision or local authority thereof.
2. A person is not a resident of a territory for the purposes of this Agreement if that person is liable to tax in that territory in respect only of income from sources in that territory, provided that this paragraph shall not apply to individuals who are residents of the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, as long as resident individuals are taxed only in respect of income from sources in that territory.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both territories, then his status shall be determined as follows:
 - a) he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both territories, he shall be deemed to be a resident only of the territory with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the territory in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either territory, he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has an habitual abode;
 - c) if he has a habitual abode in both territories or in neither of them, the competent authorities of the territories shall settle the question by mutual agreement.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both territories, then it shall be deemed to be a resident only of the territory in which its place of effective management is situated. If the territory in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the territories shall settle the question by mutual agreement.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a sales outlet;
 - g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
 - h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and
 - i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3.
 - a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last more than 270 days.
 - b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the territory for a period or periods aggregating more than 182 days within any 12-month period constitutes a permanent establishment.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a territory on behalf of an enterprise of the other territory, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned territory in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that territory an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

b) habitually secures orders in the first-mentioned territory, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a territory shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other territory if it collects premiums in that other territory or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a territory merely because it carries on business in that territory through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a territory controls or is controlled by a company which is a resident of the other territory, or which

carries on business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a territory from immovable property situated in the other territory may be taxed in that other territory.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the territory in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a territory shall be taxable only in that territory unless the enterprise carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other territory but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a territory carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall in each territory be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the territory in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that territory. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a territory to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that territory from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a territory from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that territory.

2. For the purpose of this Article, profits derived by a transportation enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic include :

- a) profits derived from the rental on a full (time or voyage) basis of ships or aircraft; and
- b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, unless the containers are used solely within the other territory;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircrafts in international traffic.

3. For the purposes of this Article interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are integral to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a territory participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a territory and an enterprise of the other territory,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a territory includes in the profits of an enterprise of the territory - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other territory has been charged to tax in that other territory and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned territory if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other territory shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the territories shall if necessary consult each other.

Article 10 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a territory to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

2. However, such dividends may also be taxed in the territory of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the territory of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a territory, carries on business in the other territory of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a territory derives profits or income from the other territory, that other territory may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other territory or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other territory, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other territory.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

2. However, such interest may also be taxed in the territory in which it arises, and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a territory shall be exempt from tax in that territory, provided that it is derived and beneficially owned by:

- a) the authority administering a territory, a subdivision or a local authority of the other territory; or
- b) Central Banks and Export-Import Banks of the territories referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2; or
- c) any other institution as may be identified and accepted from time to time by the competent authorities of both of the territories referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claims in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that - territory. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the territory in which they arise, and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
3. a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. a) Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.
b) Where under subparagraph (a) royalties or fees for technical services do not arise in one of the territories, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for technical services

relate to services performed, in one of the territories, the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in that territory.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other territory may be taxed in that other territory.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a territory in the other territory for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other territory.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other territory may be taxed in that other territory.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a territory may be taxed in that territory.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident.

Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a territory from the performance of professional services or other activities of an independent

character shall be taxable only in that territory except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other territory:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other territory for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other territory; or
- b) if his stay in the other territory is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other territory may be taxed in that other territory.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1: Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment shall be taxable only in that territory unless the employment is exercised in the other territory. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other territory.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment exercised in the other territory shall be taxable only in the first-mentioned territory if:

- a) the recipient is present in the other territory for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other territory, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other territory.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a territory may be taxed in that territory.

Article 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a territory in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a territory as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other territory, may be taxed in that other territory.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the territory in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a territory by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the territories or of subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the territory of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a territory in consideration of past employment shall be taxable only in that territory.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a territory or a subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that territory or subdivision or authority shall be taxable only in that territory.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other territory if the services are rendered in that territory and the individual is a resident of that territory who:
 - (i) is a national of that territory; or
 - (ii) did not become a resident of that territory solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a territory or a subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that territory or subdivision or authority shall be taxable only in that territory.
b) However, such pension shall be taxable only in the other territory if the individual is a resident of, and a national of, that other territory.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a territory or a subdivision or a local authority thereof.

Article 20
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the territory immediately before visiting the other territory for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar approved institution in that other territory shall be exempt from tax in that other territory on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other territory.

2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the private benefit of a person or persons.

3. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a territory if he is resident in that territory in the fiscal year in which he visits the other territory or in the immediately preceding fiscal year.

Article 21
STUDENTS

1. A student who is or was a resident of one of the territories immediately before visiting the other territory and who is present in that other territory solely for the purpose of his education or training, shall besides grants, loans and scholarships be exempt from tax in that other territory on:

- a) payments made to him by persons residing outside that other territory for the purposes of his maintenance, education or training; and
- b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other territory if the employment is directly related to his studies.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other territory.

Article 22
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a territory, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that territory.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a territory, carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a territory derives income from sources within the other territory in form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any nature whatsoever, such income may be taxed in the other territory.

Article 23

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2:

- a) Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2.

- b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 is exempt from tax in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2:

- a) Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 derives income from the other territory, the amount of tax on that income paid in that other territory (but excluding, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid) and in accordance with the provisions of this Agreement, shall be credited against the tax levied in the first-mentioned territory on that resident.

The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax in the first-mentioned territory on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.

- b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 is exempt from tax in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24 NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a territory shall not be subjected in the other territory to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other territory in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the territories.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory shall not be less favorably levied in that other territory than the taxation levied on enterprises of that other territory carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a territory to grant to residents of the other territory any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a territory from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other territory has in the first-mentioned territory at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned territory, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a territory to a resident of the other territory shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned territory.

4. Enterprises of a territory, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other territory, shall not be subjected in the first-mentioned territory to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned territory are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall apply to taxes which are covered by this Agreement.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the territories result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those territories, present his case to the competent authority of the territory of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the territory of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other territory, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the territories.

3. The competent authorities of the territories shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the territories may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the territories.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the territories shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the territories, or of their subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a territory shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that territory and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the

oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting territory may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both territories and the competent authority of the supplying territory authorizes such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a territory the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other territory;
- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other territory;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a territory in accordance with this Article, the other territory shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other territory may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a territory to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a territory to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. Each of the territories shall endeavor to collect, as if it were its own tax, any tax referred to in Article 2, which has been imposed by the other territory and the collection of which is necessary to ensure that any exemption or reduction of tax granted under this Agreement by that other territory shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.

2. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a territory the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other territory;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

- c) to provide assistance if the other territory has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that territory is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other territory.

Article 28

LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, a resident of a territory shall not be entitled to the benefits of this Agreement if the primary purpose or one of the primary purposes of such resident or a person connected with such resident was to obtain the benefits of this Agreement.
2. The cases of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by the provisions of this Article.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi shall notify each other in writing, about the completion of the procedures required by the laws in their respective territories for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these written notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of this Agreement shall have effect:
 - a) In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force; and
 - b) In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, in relation to income derived in any year of income beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by either the India-Taipei Association in Taipei or the Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi by giving a written notice of termination to the other at least six months before the end of any calendar year beginning after

the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:


a) in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given;

b) in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, in relation to income derived in any year of income beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi this 12th day of July, 2011, each in the Hindi, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR INDIA-TAIPEI
ASSOCIATION IN TAIPEI


(Pradeep Kumar Rawat)
Director General

FOR TAIPEI ECONOMIC
AND CULTURAL CENTER IN
NEW DELHI


(Wenchi Ong)
Representative

PROTOCOL

India-Taipei Association in Taipei and Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi on signing at New Delhi on the 12th day of July, 2011, the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement:

1. It is understood that if the domestic law of a territory is more beneficial to a resident of the other territory than the provisions of this Agreement, then the provisions of the domestic law of the first-mentioned territory shall apply to the extent they are more beneficial to such a resident.

2. With respect to Article 2, in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, it is understood that nothing in the Agreement will affect the imposition of the Land Value Increment Tax under Land Tax Act.

3. In respect of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 of Article 5 on 'Permanent Establishment', it is understood that if the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income between the Republic of India and the People's Republic of China is revised and the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China omits the words 'or delivery' from these two subparagraphs, then, a corresponding revision of these two subparagraphs shall be automatically effected in this Agreement and the words 'or delivery' shall stand omitted from these two subparagraphs, with effect from the date on which the revised Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion between the Republic of India and the People's Republic of China enters into force.

4. It is further understood that in respect of paragraph 5 of Article 5 on "Permanent Establishment", if the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income between the Republic of India and the People's Republic of China is revised and the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China includes provisions to the effect that a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall constitute a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of activities he undertakes for the enterprise, if he habitually maintains in the first-mentioned state a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, then a corresponding revision of paragraph 5 of Article 5 shall be automatically effected in this Agreement by inserting similar provision with effect from the date on which the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China enters into force. The exact formulation of the provisions to be inserted in this Agreement shall be finalized by exchange of letters.

5. With respect to Article 23, it is understood that the laws in force in either of the territories shall continue to govern the taxation of income in the respective


territories except when express provision to the contrary is made in this Agreement. When income is subject to tax in both territories, relief from double taxation shall be given in accordance with the provisions of Article 23.

6. With respect to Article 23, it is further understood that the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 shall not allow as a deduction from the tax on the income of its resident, Land Value Increment Tax under Land Tax Act imposed in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this 12th day of July, 2011, each in the Hindi, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR INDIA-TAIPEI
ASSOCIATION IN TAIPEI


(Pradeep Kumar Rawat)
Director General

FOR TAIPEI ECONOMIC
AND CULTURAL CENTER IN
NEW DELHI


(Wenchi Ong)
Representative